न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 30 / 2024 (राजसमन्द डिक्री)

1. गुड्डूसिंह पिता स्वर्गीय लक्ष्मणसिंह, जाति राजूपत, निवासी गादरोला, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. कालू (रतन कुंवर) पिता स्वर्गीय लक्ष्मणसिंह, जाति राजूपत, निवासी गादरोला, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
3. टीना पिता स्वर्गीय लक्ष्मणसिंह, जाति राजूपत, निवासी गादरोला, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती रोशन कुंवर पत्नी स्वर्गीय लक्ष्मणसिंह, जाति राजूपत, निवासी गादरोला, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. मुन्ना कंवर पिता सार्दुलसिंह जी राजूपत, निवासी गादरोला, तहसील आमेट हाल जोगडावास, तहसील मारवाड़ जक्शन, जिला पाली (राज.)
2. प्रेम कंवर पिता सार्दुलसिंह जी राजूपत, निवासी गादरोला, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
3. हरिसिंह पिता सार्दुलसिंह जी राजूपत, निवासी गादरोला, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
4. नारू पिता हजारी जी गुर्जर, निवासी फलासिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
5. देवीसिंह पिता नवलसिंह जी राजूपत, निवासी गादरोला, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
6. श्रीमती धापू कंवर बेवा मोहनसिंह जी राजूपत, निवासी गादरोला, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
7. कालूसिंह पिता मोहनसिंह जी राजूपत, निवासी गादरोला, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
8. विक्रमसिंह पिता मोहनसिंह जी राजूपत, निवासी गादरोला, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
9. महेन्द्रसिंह पिता मोहनसिंह जी राजूपत, निवासी गादरोला, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
10. जालमसिंह पिता उदयसिंह जी राजूपत, निवासी गादरोला, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
11. तहसीलदार आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
12. सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

Signature Not Verified .....रेस्पोन्डेन्टगण

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:35:54 IST
Reason: SelfAttested

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान
काश्त॰ अधि॰– 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी आमेट दिनांक
01–11–2023 प्रकरण संख्या 25/18

———/———

उपस्थित :– 1– श्री अनुराग शर्मा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक रे. सं. 1

———::———

निर्णय **दिनांक 23–04–2025**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गादरोला, तहसील आमेट में खाता संख्या 157 नया व 142 पुराना की आराजी नंबर 918 से 922, 941 से 944, 946, 952 से 957, 959 कुल किता 17 रकबा 3.0000 हैक्टर, खाता संख्या 158 नया व 143 पुराना की आराजी नंबर 307 से 309, 854 से 857, 860, 862 से 864, 868 कुल किता 12 रकबा 4.3000 हैक्टर एवं खाता संख्या 230 नया व 212 पुराना की आराजी नंबर 853 किता 1 रकबा 1.5900 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसका वर्णन वाद पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट ''क'', ''ख'' व ''ग'' में किया गया है। उक्त परिशिष्ट ''क'' की आराजियात में वादीया के पिता का 1/3 हिस्सा, परिशिष्ट ''ख'' एवं परिशिष्ट ''ग'' की सम्पूर्ण आराजियात दर्ज थी, जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम गलत रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई है। उक्त आराजियात वादीया के पैत्रृक होकर परिवार का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार है, जिसके अनुसार वादीया के पिता के हिस्से में 1/4 हिस्सा वादीया का तथा 1/4, 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का है, किन्तु पिता के स्वर्गवास पर नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम स्वीकृत हो गया है, जो विधि विरूद्ध है। उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में विक्रय कर दिया है, जो वादीया के मुकाबले शून्य है। अतः वाद पत्र के परिशिष्ट ''क'' अंकित आराजियात में वादिया को 1/12 हिस्से का तथा परिशिष्ट ''ख'' में अंकित आराजियात में

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:35:54 IST
Reason: SelfAttested

1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 01–11–2023 को निर्णय पारित करते हुए वादीया का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 02–07–2024 को प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री अनुराग शर्मा उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट के पिता उक्त प्रकरण को देख रहे थे, परन्तु उनकी मृत्यु दिनांक 19.03.2021 को हो जाने से अपीलान्टगण को वाद में पक्षकार बना दिया गया, किन्तु उनकी बिना तामील कराये एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए उक्त डिक्री जारी की गयी है, जिसकी जानकारी अपीलान्टगण को नहीं थी। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

5. हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगण न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण की तामील नहीं होने से उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि दौराने वाद कार्यवाही अपीलान्टगण के पिता का देहावसान हो जाने से उन्हें प्रकरण में पक्षकार बनाया गया, किन्तु उनकी तामील नहीं करायी गयी एवं उन्हें बिना सुने एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया गया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:35:54 IST
Reason: SelfAttested

7. उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपीलान्टगण को विधिवत तामील होकर उनके द्वारा जवाब भी प्रस्तुत किया गया है। यदि उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हुई थी तो इसके लिस आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का प्रार्थना पत्र पेश पर उसमें रिलीफ प्राप्त कर सकते थे। अपील का कोई आधार नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

8. हमने उक्त पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न सम्मनों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्टगण को रजिस्टर्ड तामील करायी गयी है, किन्तु बावजूद सूचना उनके अनुपस्थित रहने से दिनांक 09.02.2023 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी है। ऐसी स्थिति में अपीलान्टगण अधीनस्थ न्यायालय में आदेश 9 नियम 13 जा.दी. के तहत प्रकरण को दोतरफा करने का आवेदन प्रस्तुत कर सकते थे, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं की अपील में माध्यम से रिलीफ चाही जा रही है, जिसका कोई आधार नहीं है। वैसे भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि पैत्रृक होने से पुत्री को भी पुत्र के समान अधिकार होने के आधार पर वाद डिक्री किया गया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

9. अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 01–11–2023 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 23–04–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:35:54 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.......**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.........मुकाम........**उदयपुर**............ व इजलास ....**कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.** ....

गुड्डूसिंह पिता स्वर्गीय लक्ष्मणसिंह राजपूत, निवासी गादरोला, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द व अन्य

<u>बनाम</u>

श्रीमती मुन्ना कंवर पुत्री सार्दुलसिंह राजपूत, निवासी गादरोला हाल नि. जोगडावास, तह0 मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली व अन्य

अपील नं....30/2024.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.............. ......**आमेट**........... मुकाम................मुवर्खे..............01...........माह........11.....................2023

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.........23.....माह......04.......सन् 2025 रूबरू.......**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री अनुराग शर्मा**........मिनजानिब अपीलान्ट व...........**श्री ओंकारलाल डांगी**

...........रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 01–11–2023 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......23.........माह.........04.........2025 को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील..........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:35:54 IST
Reason: SelfAttested